

झारखण्ड सरकार
जनसम्पर्क निदेशालय, रांची।

कार्यालय आदेश संख्या-06/गीतनाट्य-01/2018/158

रांची/दिनांक 16/11/2018


विषय- गीतनाट्य पारम्परिक संचार यथा सांस्कृतिक दलों के चयन एवं ग्रेडिंग के अनुरूप पारिश्रमिक निर्धारण के संबंध में निर्गत आदेश 107 सहपठित ज्ञापांक 1814 दिनांक 06.07.2018 के कतिपय प्रावधानों के संशोधन के संबंध में।

विभागीय बैठक 13 अक्टूबर को समीक्षा के दौरान सभी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारियों के सुझाव के आलोक में पूर्व में निर्गत आदेश 107 सहपठित ज्ञापांक 1814, दिनांक 06.07.2018 में निम्नवत संशोधन किया जाता है।

क्र. सं.	पूर्व प्रावधान	संशोधित प्रावधान
	01	02
1.	1.2 चयन समिति 8 सदस्यीय सांस्कृतिक कला दल जिसमें 4 महिला सदस्य होंगी का चयन करेगी।	1.2 चयन समिति 8 सदस्यीय सांस्कृतिक कला दल जिसमें 4 महिला सदस्य होंगी का चयन करेगी। अपवाद स्वरूप ऐसे नृत्य या कार्यक्रम जिसमें पारंपरिक रूप से केवल पुरुष या महिला सदस्य ही कला दल का सदस्य होते हैं, वैसे कला दलों के चयन में 8 सदस्यीय सांस्कृतिक दल केवल महिला एवं केवल पुरुष से भी गठित हो सकता है।
2.	2.1 सांस्कृतिक कला दल को प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। एक कला दल द्वारा एक दिन में कम से कम तीन पंचायतों में प्रति पंचायत दो घंटे कार्यक्रम करने की स्वीकृति देंगे।	2.1 सांस्कृतिक कला दल को प्रति कार्यक्रम के दर से भुगतान किया जाएगा।
3.	2.2 विशेष परिस्थिति में जहां दो पंचायतों के बीच दूरी अधिक है, वहां जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया जाता है कि वे दूरस्थ पंचायत होने की स्थिति में एक दिन में कम से कम दो पंचायत में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की स्वीकृति देंगे।	2.2 एक कला दल द्वारा एक दिन में अधिकतम दो पंचायत में प्रति पंचायत कम से कम दो घंटे कार्यक्रम किया जाना अनिवार्य होगा।
4.	2.3 निम्नानुसार प्रतिदिन ग्रेड के अनुरूप पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है- (iv) A ग्रेड कला दल-10,000 रु. (v) B ग्रेड कला दल-9,000 रु. (vi) C ग्रेड कला दल-8,000 रु.	2.3 निम्नानुसार प्रति कार्यक्रम ग्रेड के अनुरूप पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है- (iv) A ग्रेड कला दल-7,000 रु. (v) B ग्रेड कला दल-6,000 रु. (vi) C ग्रेड कला दल- 5500 रु.

2. आदेश संख्या 107 सहपठित ज्ञापांक 1814 दिनांक 06.07.2018 को यथासंशोधित किया जाता है।
उक्त आदेश के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।


3. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।


उप निदेशक

ज्ञापांक- संख्या-06/गीतनाट्य-01/2018/3112

रांची/दिनांक...16/11/2018


प्रतिलिपि- सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।


उप निदेशक

ज्ञापांक- संख्या-06/गीतनाट्य-01/2018/3112

रांची/दिनांक...16/11/2018

प्रतिलिपि- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उपनिदेशक, जनसम्पर्क/सभी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप निदेशक

क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण
1	रांची जिला जनसम्पर्क निदेशालय में प्रेषित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।	1	रांची जिला जनसम्पर्क निदेशालय में प्रेषित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।
2	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।	2	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।	3	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।	4	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।